न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 35/2016
विविध प्रार्थना पत्र संख्या...../2017

श्री भेवरचन्द

.....प्रार्थी

बनाम

श्री गोपाल व अन्य

.....अप्रार्थीगण

प्राथमिक आपत्ति प्रकरण संधारण योग्य नहीं होने बाबत।

उपस्थित :–

1– श्री पी0 गन्डेविया, वकील प्रार्थी की ओर से।
2– श्री शौकिन्द लाल गूजर, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3– श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक – 10.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 14.07.1995 को ग्राम पंचायत मुख्यालय जालिया–ा पर आयोजित नियमन एवं आवंटन कमेटी की बैठक में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा श्री गोपाल पुत्र श्री हजारी, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जालिया–ा, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम जालिया–ा के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 4111 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध बताते हुए उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकॉर्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए। प्रकरण के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक आपत्ति (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970) प्रकरण संधारण योग्य नहीं होने पेश किया गया। प्रार्थी की ओर से प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने के पश्चात पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई।

हमने प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि प्रकरण में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 4111 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि ग्राम जालिया–ा वर्तमान तहसील बिजयनगर जिला अजमेर में स्थित होकर अप्रार्थी संख्या 1 श्री गोपाल पुत्र श्री हजारी जाति गुर्जर की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि आवंटन/नियमन के आदेश की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 2351 दिनांक 14.07.1995 को माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के माध्यम से चुनौती दी गई है जो कानून की मंशा के विरूद्ध होने से प्रकरण संधारण योग्य नहीं है क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही आवंटन आदेश की पालना में की गई है। स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) में नामान्तरकरण संख्या 2351 दिनांक 14.07.1995 अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र के पृष्ठ संख्या 1 व 7 पर जो अनुतोष चाहा है, वह प्रकरण से स्पष्ट है। न्यायालय वाद/प्रकरण के अभिवचनों के बाहर जाकर एवं दस्तावेज के अभाव में प्रकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 432 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि प्रकरण में अंकित भूमि बाबत अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है चूंकि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू हो जाते हैं। अपने कथन के समर्थन में उन्होने न्यायालय का ध्यान आर0बी0जे0 1995 पेज 780, आर0आर0टी0 2003 (2) पेज 984, 921, आर0बी0जे0 2001 पेज 125, आर0आर0टी0 2001(1) पेज 241 व आर0बी0जे0 1999 पेज 412 पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त हो चुकी है तथा उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है जो राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी से साबित है। प्रार्थी को अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी को बिना किसी अधिकार के चुनौती देने का अधिकार नहीं है। विवादित भूमि को हड़पने की गरज से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में मनगढन्त एवं झूठे अभिकथन अंकित किये गये हैं। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के आंशिक रकबे बाबत उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते माननीय न्यायालय में प्रकरण संधारण योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ विवादित भूमि के आवंटन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की है तथा बिना किसी आधार के आवंटन आदेश को चुनौती दी है, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को आर्थिक, मानसिक क्षति कारित करने की गरज से एवं भूमि हड़पने की गरज से तथा अप्रार्थी को बेवजह मुकदमेबाजी में उलझाने की नीयत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन मनगढन्त एवं बेबुनियाद है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटित विवादित भूमि राजस्व नक्शे एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा न होकर 8 बीघा 8 बिस्वा ही है तथा नक्शा ट्रेस अनुसार कुल भूमि 6 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी ही होती है। इस प्रकार रेकॉर्ड एवं मौका अनुसार रकबे में भिन्नता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में मौके पर उपलब्ध भूमि से अधिक भूमि का आवंटन किया गया है। उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी का यह कहना कि नियम 14(4) के अन्तर्गत उन्होने नामान्तरकरण को चुनौती दी है जबकि प्रार्थी द्वारा अपने

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र में उक्त नामान्तरकरण को शून्य व निष्प्रभावी होना बताया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के जरिये विवादित भूमि के आवंटन को ही चुनौती दी गई है। आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति काफी प्रयासों के पश्चात भी प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जहां तक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है वे मौजूदा तथ्यों के विपरीत होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। उन्होने आगे कथन किया कि अप्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के आंशिक रकबा बाबत उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसके विचाराधीन रहते माननीय न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है, इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की कथित खातेदारी को निरस्त किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जिसके सबज्यूडिस रहते हुए प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि साबिक खसरा नंबर 1811 नया 4111 पर प्रार्थी ने वर्ष 1982 में कब्जा कर कुआ खुदवा लिया था तत्कालीन समय में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज थी, तत्पश्चात सन् 1983 में प्रशासन गांव की ओर अभियान में उक्त कुए को नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के आदेश दिनांक 09.02.1983 से भूमि मय चाह प्रार्थी के पक्ष में नियमन कर दी तथा कैम्प में ही 100/– रूपये की चाह खातेदारी की रसीद काट दी गई तथा उक्त नियमन के आधार पर दिनांक 01.02.1985 को पट्टा फीस प्राप्त कर 3 बिस्वा भूमि मय चाह नियमन कर दिया गया। उक्त चाह से लगते हुए प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 4112 व 4113 है जिन्हे चाह से सिंचित करता आ रहा था किन्तु कुछ वर्षों में बरसात के अभाव में कुए में पानी नहीं रहने के कारण भूमि पड़त रही। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के कुए को बन्द कर भूमि समतल कर दी गई। उन्होने आगे कथन किया कि प्रार्थी के पक्ष में नियमित चाह का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन नहीं होने के कारण विवादित भूमि वर्ष 1995 में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटित कर दी गई। आवंटी द्वारा विवादित भूमि के आवंटन दिनांक से 6 वर्ष तक विवादित भूमि पर फसल काश्त न कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि को हड़प करने की नीयत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी की मंशा केवल मात्र उनके पक्ष में आवंटित 3 बिस्वा भूमि पर हक व अधिकार प्राप्त करने की है, शेष भूमि से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि खसरा नंबर साबिक 1811 हाल 4111 में से 3 बिस्वा भूमि चाह नियमन वर्ष 1983 में प्रार्थी के नाम किया गया था। उक्त नियमन को निरस्त किये बिना पुनः भूमि का आवंटन किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता चाहे पूर्व में किये गये आवंटन का राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया हो। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1128 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण में विलम्ब करने की मंशा से प्रस्तुत किया गया है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त किया जावे।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के माध्यम से ग्राम जालिया–II के नामान्तरकरण संख्या 2351 दिनांक 14.07.1995 को चुनौती दी गई है, जो प्रार्थना के पृष्ठ संख्या 1 व 7 पर चाहे गये

Scanned by CamScanner

अनुतोष से स्पष्ट है। हम अप्रार्थी संख्या 1 के इन कथनों से सहमत हैं कि किसी भी नामान्तरकरण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के माध्यम से निरस्त नहीं करवाया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में एक ओर तो नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का अंकन किया गया है, वहीं दूसरी ओर आवंटन निरस्त किये जाने का अंकन है। इस प्रकार प्रार्थी के स्वयं के कथनों में विरोधाभास है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ वांछित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे स्पष्ट हो कि वे क्या अनुतोष चाहते हैं? इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970) स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.11.2017 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द शर्मा)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द शर्मा)
अपर कलेक्टर,अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner